



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. एलसी-आरईजीएल/1/2025-अनुज्ञापन/1024

दिनांक: 11.08.2025

परिपत्र

विभिन्न स्रोतों - जैसे निर्माताओं, गोदामों, नीलामी केंद्रों, खुदरा विक्रेताओं आदि से प्रतिनिधि चाय के नमूने लेने के लिए एक समान और मानकीकृत प्रक्रिया स्थापित करने और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

यह एसओपी चाय अधिनियम और संबद्ध नियंत्रण आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जारी किया गया है और चाय के नमूने लेने, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं में शामिल सभी संबंधितों द्वारा **तत्काल प्रभाव** से इसका सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।

इसका उद्देश्य गुणवत्ता मानकों और विनियामक अनुपालन के प्रभावी प्रवर्तन के लिए नमूनाकरण प्रक्रिया में स्थिरता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

24/8/25 रीत नरकर

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड, कून्नूर	बोर्ड के कार्यालयों और उद्योग संघों के बीच सूचना और व्यापक प्रसार हेतु
कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी	
उ.नि.चा.वि, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी	अनुपालन हेतु
विशेष अधिकारी (उ पश्चि भा)	
कार्यालय प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपुर	
कार्यालय प्रभारी, टी बोर्ड, मुंबई	
सभी चाय उत्पादक संघ	सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु, जैसा लागू हो
सभी चाय निर्यातक संघ	
सभी चाय क्रेता संघ	
सभी ब्रोकर संघ	
सभी नीलामी आयोजक	
सभी चाय गोदाम संघ	
सिस्टम विश्लेषक, टी बोर्ड	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए चाय के नमूने लेने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

1. उद्देश्य

प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से एफएसएसएआई मानकों के अनुरूपता की जांच करने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों (जैसे, फैक्ट्रियों, गोदामों, क्रेता परिसर, आयात और निर्यात खेप, नीलामी केंद्र, आदि) से प्रतिनिधि चाय के नमूने लेने के लिए मानकीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करना।

2. दायरा

यह एसओपी टी बोर्ड के दिशा-निर्देशों और लागू खाद्य सुरक्षा मानदंडों के तहत गुणवत्ता मूल्यांकन और विनियामक अनुपालन के लिए सभी प्रकार की निर्मित चाय (थोक और पैकेट चाय दोनों) के नमूने लेने की प्रक्रिया पर लागू होता है।

3. नियामक प्रावधान

- चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (टीएमसीओ, 2003) के पैराग्राफ 27, 28 और 29 (टी बोर्ड के परिपत्र संदर्भ सं. 8(9)/एलसी/सैंपलिंग/2019/96/651 दिनांक 2 जून, 2022 के साथ पढ़ा जाए)
- चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 (टीडीईसीओ, 2005) का पैराग्राफ 35
- चाय गोदाम (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 (टीडब्ल्यूएलओ, 1989) का पैराग्राफ 15

4. नमूनों के प्रकार

a) नियामक नमूने

नियामक नमूने, अनुज्ञापन/नियामक प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन लिए गए चाय के नमूने होते हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन निगरानी है। इन नमूनों का विश्लेषण एफएसएसएआई के मानदंडों या उस समय लागू किसी अन्य नियम या दिशानिर्देशों के अनुरूपता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यदि विश्लेषण से कोई प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होता है, तो चाय अधिनियम, संबंधित नियंत्रण आदेशों या उस समय लागू किसी अन्य नियम, विनियम या दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

b) निगरानी नमूने

निगरानी नमूने केवल निगरानी, निरीक्षण, डेटा संग्रह या अनुसंधान के उद्देश्य से लिए गए चाय के नमूने हैं। इन नमूनों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों का उपयोग चाय अधिनियम, नियंत्रण आदेशों, या किसी अन्य लागू कानून, नियम या दिशानिर्देशों के तहत कोई कानूनी या नियामक कार्रवाई शुरू करने के लिए नहीं किया जाएगा।

5. आवश्यक सामग्री और उपकरण

- चम्मच, स्कूप, बोरर्स या कोई अन्य संबंधित उपकरण
- अल्मुनियम पर्ण
- पैकिंग मशीन (यदि परिसर में उपलब्ध हो)
- कम से कम 2-3 इंच चौड़ा बीओपीपी ब्राउन टेप
- Heat Sealing Machine हीट सीलिंग मशीन
- टी बोर्ड छाप वाली पीतल की मुहर
- सीलिंग मोम, मोमबत्ती, माचिस
- सुई और धागा
- चिपकने वाला पदार्थ, कैंची, पेन, आदि।

6. नमूने लेने की प्रक्रिया

चाय के नमूने लेने के लिए, चाहे वे नियामक हों या निगरानी संबंधी, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो। इन चरणों के अतिरिक्त, सभी संबंधित पक्षों को नियंत्रण आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जैसा कि इस दस्तावेज़ के बिंदु सं. 3 में संदर्भित है।

a) थोक चाय

i) नमूनाकरण बिंदुओं का चयन निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक के आधार पर किया जाएगा:

- निर्धारित निगरानी योजना के अनुसार नियमित निरीक्षण किया गया
- गुणवत्ता या सुरक्षा संबंधी चिंताओं के संबंध में हितधारकों या उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतें
- सामान्य अनुपालन का आकलन करने के लिए यादृच्छिक जांच या निगरानी शुरू की गई
- इकाइयों या स्थानों का पिछला गैर-अनुपालन इतिहास
- उस समय लागू कोई अन्य मानदंड

ii) जिन इनवॉइस से नमूने लिए जाने हैं- चाहे वे स्थानीय बिक्री, निर्यात या आयात के लिए हों- उनकी पहचान नमूने के उद्देश्य के आधार पर की जाएगी। नमूने केवल उन्हीं पैकड चाय से लिए जाने चाहिए जिनके इनवॉइस पहले ही तैयार किए जा चुके हों।

- iii) चालान की पहचान के बाद, चालान में उल्लिखित लॉट (जिसमें कई पैकेज शामिल हैं) के विवरण का मिलान चाय के भौतिक स्टॉक से किया जाएगा।
- नोट:** यदि नमूना लॉट के कम से कम एक पैकेज से लिया जाता है, तो लिया गया नमूना चयनित इनवॉइस में निर्दिष्ट संपूर्ण लॉट का प्रतिनिधि माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
- iv) निरीक्षण के उद्देश्य और प्रकृति के आधार पर नमूने या तो पूरे लॉट (सभी पैकेजों) से या लॉट के भीतर चुनिंदा पैकेजों से लिए जाएंगे।
- v) नमूने का आकार- 3 (तीन) सेटों में प्रति सेट 500 ग्राम वजन (नियामक और निगरानी नमूने दोनों के लिए)
- vi) लिए गए नमूनों को उचित आकार के स्वच्छ, सूखे और गंध रहित एल्युमीनियम फॉयल (खाद्य ग्रेड) में एकत्र किया जाना चाहिए और उन्हें भूरे रंग के टेप आदि जैसी छेड़छाड़-रोधी सामग्री से ठीक से सील किया जाना चाहिए या गर्म करके सील किया जाना चाहिए।
- vii) सीलबंद एल्युमीनियम फ़ॉइल पर विशिष्ट नमूना कोड और चाय के प्रकार का स्पष्ट लेबल लगा होना चाहिए और निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। विश्लेषण के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नमूने के पैकेट पर चाय के मालिक का कोई पहचान संबंधी विवरण न लिखा हो।
- viii) एकत्रित नमूनों के तीन सेटों में से एक सेट चाय के मालिक या उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि को उचित पावती के साथ सौंप दिया जाएगा (कृपया क्रम सं. 7 पर संलग्न प्रारूप देखें)।
- ix) जिस बैग से नमूना लिया गया है, उसे किसी भी छेड़छाड़ से बचने के लिए भूरे रंग के चिपकने वाले टेप या किसी अन्य छेड़छाड़-रोधी सामग्री से ठीक से सील कर दिया जाएगा। उस पर दोनों पक्षों के प्रति-हस्ताक्षर भी उचित रूप से अंकित किए जाएंगे।
- x) पुनः सील करने के बाद, संबंधित इनवॉइस संख्या के अनुरूप संपूर्ण लॉट, जिससे नमूना लिया गया है, जब्त कर लिया जाएगा (केवल नियामक नमूनों के लिए लागू)। जब्त की गई चाय को इकाई के भीतर अलग से संग्रहित किया जाना चाहिए और चाय के अनजाने मिश्रण या रिसाव से बचने के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।
- xi) एक उचित जब्ती जापन (कृपया क्रम सं. 7 पर संलग्न प्रारूप देखें) तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें लॉट का विवरण, मात्रा, चालान संख्या, जब्ती का कारण, जब्ती की तारीख और समय, तथा प्राधिकृत अधिकारियों और इकाई के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दर्शाए जाने चाहिए।

जब्त किया गया स्टॉक इकाई की अभिरक्षा में रहेगा, लेकिन बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उसमें छेड़छाड़, स्थानांतरण या रिहाई नहीं की जा सकेगी।

c) पैकेट चाय

- i. नमूने खुदरा बाजारों (जैसे खुदरा दुकानें, मॉल, स्थानीय बाजार आदि) से एकत्र किए जाएंगे।
- ii. विभिन्न कम्पनियों की पैकेटबंद चाय विशिष्ट बैच संख्या वाले बाजारों से खरीदी जाएगी।
- iii. नमूने का आकार- एक ही बैच सं. के साथ 2 (दो) सेटों (नियामक और निगरानी नमूने दोनों के लिए) में प्रति सेट 500 ग्राम वजन के पैकेट।
- iv. खरीदने के बाद, पैकेट में रखी चाय को उचित आकार के स्वच्छ, सूखे और गंध रहित एल्युमीनियम फॉयल में पैक किया जाना चाहिए तथा उसे भूरे रंग के टेप आदि जैसी छेड़छाड़-रोधी सामग्री से या हीट सील से ठीक से सील किया जाना चाहिए।
- v. सीलबंद एल्युमीनियम फ़ॉइल पर विशिष्ट नमूना कोड और चाय के प्रकार का स्पष्ट लेबल लगा होना चाहिए और निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। विश्लेषण के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नमूने के पैकेट पर चाय के मालिक का कोई पहचान संबंधी विवरण न लिखा हो।
- vi. पैकेटबंद चाय के मामले में, मूल खाली पैकेट (जिससे नमूना बनाया गया था) को तब तक अच्छी स्थिति में संरक्षित रखा जाएगा जब तक कि नमूने के विश्लेषण के आधार पर सभी कानूनी, प्रशासनिक या विश्लेषणात्मक कार्यवाही पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाती।

7. चाय के नमूने एकत्र करने और जब्त करने के प्रारूप

नमूने एकत्र करने, नमूने सौंपने और चाय की जब्ती के लिए निम्नलिखित प्रारूपों का उपयोग किया जाना है:

नियामक नमूने

- i. अनुलग्नक क
- ii. अनुलग्नक ख
- iii. अनुलग्नक ग
- iv. अनुबंध डी/ई/एफ जैसा भी मामला हो

निगरानी नमूने

- i. अनुलग्नक क
- ii. अनुलग्नक ख
- iii. अनुलग्नक ग

8. नमूने का वितरण:

लिए गए नमूनों को, चाहे विनियामक या निगरानी के माध्यम से, एफएसएसएआई मानदंडों या किसी अन्य लागू नियमों या दिशानिदेशों के अनुपालन की जांच के लिए टी बोर्ड की एनएबीएल मान्यता प्राप्त पैलबद्ध प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए निम्नलिखित तरीके से वितरित किया जाएगा:

- i. शेष बचे दो नमूनों में से एक सेट को एफएसएसएआई मानदंडों या किसी अन्य लागू नियमों या दिशानिदेशों के अनुसार विश्लेषण करने के लिए टी बोर्ड की एनएबीएल मान्यता प्राप्त पैलबद्ध प्रयोगशालाओं को सौंप दिया जाएगा।
- ii. नमूने का दूसरा सेट भविष्य में किसी विवाद, मुकदमेबाजी आदि के समाधान के लिए बैकअप नमूने या संदर्भ नमूने के रूप में चाय बोर्ड की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

नोट: प्रयोगशाला को सौंपे गए नमूने के सेट पर चाय के मालिक का कोई विवरण नहीं होना चाहिए ताकि गुमनामी बनाए रखी जा सके, पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और परीक्षण के परिणामों की सटीकता और निष्पक्षता को बनाए रखा जा सके।

9. चाय के नमूने भेजने की समय-सीमा:

- i. प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए निर्दिष्ट सभी नमूनों को यथाशीघ्र, आदर्शतः उसी दिन भेज दिया जाना चाहिए जिस दिन नमूना लिया गया हो।
- ii. किसी भी परिस्थिति में, नमूना पूरा होने के 48 घंटे के बाद नमूना नहीं भेजा जाएगा, सप्ताहांत, सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर।
- iii. 48 घंटे से अधिक विलंब केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत है, जिसके लिए वैध औचित्य के साथ दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए तथा लाइसेंसिंग प्राधिकारी या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

यह एसओपी तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

नमूना कोड:

नीचे वर्णित नमूने को सील करने के लिए मेरे द्वारा उपयोग की गई सील का नमूना छाप इसके साथ भेजा गया है:

नमूनों का विवरण

xii) नमूने की क्रम संख्या :
.....

xiii) संग्रहकर्ता अधिकारी का नाम और पदनाम :
.....

मालिक का नाम और पंजीकरण प्रमाणपत्र/
चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005/
चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश, 2003 के अंतर्गत प्राप्त :
अनुज्ञापन संख्या

xiv) नमूना संग्रहण का स्थान :
.....

xv) संग्रहण की तिथि :
.....

xvi) प्रत्येक संदूक/बैग पर मालिकाना या
अन्य ट्रेडमार्क मुद्रित। :

xvii) संदूक/बैग पर अंकित संख्या (यदि कोई हो) :
.....

xviii) विश्लेषण के लिए प्रस्तुत लेख की प्रकृति :
.....

प्रयुक्त मुहर का नमूना छाप

1)

2)

3)

हस्ताक्षर

दिनांक

अधिकारी का पदनाम

नमूना संग्रह

नमूना कोड:

घोषणा

मैं.....उस भांडागार/चाय फैक्ट्री/लॉरी/ गोदाम
आदि का स्वामी/ प्रतिनिधि हूँ, जहाँ से आज
श्री..... द्वारा
नमूने लिए गए हैं, जो टी बोर्ड का एक अधिकारी है, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि इसमें शामिल लॉट
में..... चाय की पेटियाँ/बैग हैं जिनमें कुल मिलाकर लगभग गए नमूने उस
लॉट के प्रतिनिधि हैं।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

नाम.....

प्रबंधक/मालिक साझेदार/ अधिकृत प्रतिनिधि

अनुलग्नक ग

सेवा में,

टी बोर्ड,

.....
.....

नमूना कोड:

महोदय/महोदया,

श्री निरीक्षण अधिकारी, टी बोर्ड, कोलकाता ने को हमारे
भांडागार/चाय फैक्ट्री/लॉरी/गोदाम आदि का दौरा किया। उन्होंने मेसर्स
..... की वर्गीकृत चाय से ग्राम नमूने लिए हैं। उनके
निरीक्षण के समय बैग/ पेटियाँ जिनमें किलोग्राम चाय थी, उक्त फैक्ट्री/
आयातक/निर्यातक/क्रेता आदि के चालान संख्या दिनांक के अंतर्गत हमारे भांडागार/
चाय फैक्ट्री/लॉरी/गोदाम आदि में संग्रहित थे।

बोर्ड के अधिकारियों को नमूने निःशुल्क उपलब्ध कराए गए तथा नमूने गोदाम प्रबंधन की
उपस्थिति में लिए गए।

आपका विश्वासी,

नाम एवं हस्ताक्षर

प्रबंधक/मालिक/ स्वामित्व/साझेदार/अधिकृत प्रतिनिधि

निम्नलिखित को प्राप्त हुआ:

- a. घोषणा पत्र,
- b. 500 ग्राम के 1 माह के नमूना पैकेट को विधिवत पैक करके नमूना प्रपत्र के साथ सीलबंद किया गया है।

टी बोर्ड

(चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश, 2003 के खंड 27, 28 और 29 देखें)

चूँकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मेसर्स
..... के परिसर में चाय रखी है।

अतः अब मैं इसे जब्त करता हूँ और आपको निदेश देता हूँ कि आप उक्त सीलबंद स्टॉक को लगभग
..... किलोग्राम/बैग के अनुसार अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखें, बशर्ते कि इसके संबंध में बाद में कोई
आदेश जारी किया जाए। टी बोर्ड, जब्त की गई और आपको सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपी गई चाय के लिए
आपको होने वाले किसी भी किराए या अन्य शुल्क या किसी भी नुकसान के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं
मानता है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक
पदनाम.....

गवाह

3)
(नाम)

.....
(पता)

.....
(हस्ताक्षर)

4)
(नाम)

.....
(पता)

.....
(हस्ताक्षर)

उपरोक्त की मूल प्रति प्राप्त हुई, मैंने इसकी विषय-वस्तु पढ़ ली है और इसका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

.....

.....

अनुलग्नक-ड

नमूना कोड:

टी बोर्ड

(चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 की धारा 35 एवं 29 देखें)

जबकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मेसर्स
..... के परिसर में चाय रखी है।

अब, इसलिए, मैं इसे जब्त करता/करती हूँ और आपको निदेश देता/देती हूँ कि आप उक्त सीलबंद स्टॉक को लगभग किलोग्राम/बैग, ऐसे आदेश के अधीन जो बाद में इसके संबंध में जारी किया जा सकता है, अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखें। टी बोर्ड, जब्त की गई और आपको सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपी गई चाय के लिए किराए या अन्य किसी भी शुल्क या आपको होने वाले किसी भी नुकसान के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पदनाम

गवाह

3)

(नाम)

.....

(पता)

.....

(हस्ताक्षर)

4)

(नाम)

.....

(पता)

.....

(हस्ताक्षर)

उपरोक्त मूल प्रति प्राप्त होने पर मैंने इसकी विषय-वस्तु पढ़ ली है तथा इसका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

.....

.....

अनुलग्नक-च

नमूना कोड:

(चाय भांडागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 के अंतर्गत खंड 15 (iv) देखें)

टी बोर्ड

चूंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने चाय भांडागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 के खंड का उल्लंघन किया है, तथा परिसर संख्या में चाय के भंडारण/मिश्रण/पैकेजिंग की गतिविधियां संचालित की हैं।

अब, इसलिए, मैं चाय/चाय उत्पाद को जब्त करता/करती हूँ और आपको निदेश देता/देती हूँ कि आप लगभग.....किलो/पेटी/बैग के उक्त सीलबंद स्टॉक को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखें, बशर्ते कि बाद में इसमें छूट के लिए कोई आदेश जारी किया जाए। बोर्ड, जब्त की गई और आपको सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपी गई चाय के लिए किराए या अन्य किसी भी शुल्क या आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानता/ मानती।

स्थान

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

गवाह

iv. _____ (नाम)

(पता)

(हस्ताक्षर)

v. _____ (नाम)

(पता)

(हस्ताक्षर)

उपरोक्त मूल प्रति प्राप्त होने पर मैंने इसकी विषय-वस्तु पढ़ ली है तथा इसका पालन करने के लिए सहमत हूँ।